प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गुड़ा
की जमाबन्दी संवत् 2075 2078 खाता संख्या 53 में –

मुझ प्रार्थी का नाम बाबु पिता थावरा दर्ज है। मेरा वास्तविक नाम बाबुलाल है। मेरे राशन कार्ड एवं अन्य राजकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बाबु लाल ही दर्ज है। राजस्व खाते में नाम दर्ज करते समय मुहबोला नाम बाबु लिख दिया गया जो मेरे वास्तविक नाम का अपभ्रंश अथवा उपनाम है। अतः श्रीमान राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम बाबु से बाबुलाल दुरूस्त करने का आदेश फरमावें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बाबु लाल
प्रार्थी

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्य सही हैं। प्रार्थी का नाम प.म. गुड़ा के खाता नं. 53 में बाबु दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम बाबुलाल है। बाबु नाम प्रार्थी के सही नाम का विकृत या उपनाम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में बाबु से बाबुलाल दुरुस्त करना उचित है।

16/11/21
(जयन्ति लाल मीणा)
भू-अभिलेख निरीक्षक
वृत-पाटिया
तह.नयागॉव,जि.उदयपुर (राज.)

(तुलसी ...)
16/11/202
पटवारी
पटवार मण्डल-गुड़ा
तह.नयागॉव,जि.उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का गुड़ा की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज अनुसार प्रार्थी के ग्राम गुड़ा की जमाबन्दी खाता नं. 53 में अंकित बाबु पुत्र थावरा के बजाय बाबुलाल पुत्र थावरा दुरुस्त किया जाना उचित है।

16.11.21
तहसीलदार नयागांव
जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार नयागाँव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुड़ा खाता सं० 53 में अंकित "बाबु पुत्र थावरा" के बजाय "बाबुलाल पुत्र थावरा के नाम की शुद्धि किये जाने बाबत् आदेश पारित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत् तहसीलदार नयागाँव को लिखा जावें।

उपखण्ड अधिकारी
____

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा.

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान गुड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थी के ***"खाता दुरुस्ती"*** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुड़ा व भू.अ.नि. पारीया की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालासर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुड़ा तहसील नयागांव जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुड़ा	53	बाबु पुत्र धावरा	बाबुलाल पुत्र थावरा

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा.

दिनांक :– 16.11.2024.

कमांक :– रा.प्र.स.अ./2024/12

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ——————————————को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा.